गवाह बनना

विशेष उपायों का प्रयोग

आपराधिक और बच्चों की सुनवाई से संबंधित अदालती मामलों में वयस्क गवाहों के लिए पुस्तिका

अनुरोध करने पर इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ, ऑडियो, बड़े अक्षरों तथा सामुदायिक भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।
कृपया 0131 244 2213 पर संपर्क करें।

© क्राउन कॉपीराइट 2006

यह दस्तावेज स्कॉटिश एक्जीक्यूटिव की वेबसाइटः www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Astron B44303 04/06 (Hindi)

यह दस्तावेज मूल की हूबहू प्रतिकृति माना जा सकता है।

अन्य प्रतियाँ निम्नलिखित से उपलब्ध हैं
Blackwell's Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन पर ऑर्डर देने और पूछताछ के लिए
0131 622 8283 या 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर 0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर business.edinburgh@blackwell.co.uk

9 780755 950799
ISBN 0-7559-5079-8

w w w . s c o t l a n d . g o v . u k

xokg cuuk

fo'k"k mik;k dk i:;kx

आपराधिक और बच्चों की सुनवाई से संबंधित अदालती मामलों में वयस्क गवाहों के लिए पुस्तिका

इस पुस्तिका में प्रयुक्त तस्वीरें स्कॉटिश एक्जीक्यूटिव के सीडी–रॉम 'गवाह बनना' – बच्चों और वयस्क गवाहों के लिए दिशादिर्नेश (इंगलिश रूपांतर) से ली गई हैं।

सभी संबंधित लोगों को विशेष धन्यवाद।

विषय–सूची

परिचय	2
कमजोर गवाह क्या है?	3
कमजोर गवाहों को गवाही देने के लिए उपलब्ध विशेष उपाय	6
विशेष उपाय – स्क्रीन (ओट) का प्रयोग	9
विशेष उपाय – टेलीविजन लिंक का प्रयोग	10
विशेष उपाय – सहायक व्यक्ति का प्रयोग	12
विशेष उपाय – पूर्व बयान का प्रयोग	15
विशेष उपाय – आयुक्त (कमिश्नर) द्वारा बयान लेना	16
आपकी राय	18

परिचय

गवाह बनने का अनुभव, नया और अपरिचित होने की संभावना है।

कुछ गवाह, अपनी परिस्थितियों या अदालत में उन्हें जो गवाही देने को कहा गया है, उसकी प्रकृति के कारण विशेष रूप से कमजोर हो सकते हैं।

ऐसे विशेष रूप से कमजोर गवाहों को उनकी गवाही में मदद देने के विभिन्न तरीके हैं और उन्हें विशेष उपाय कहा जाता है।

सभी गवाहों को, गवाह बनने का क्या मतलब है और अदालत में कैसे जाया जाता है – इस बारे में जानकारी, पहले ही लीफलेटों या पुस्तिकाओं के रूप में दे दी जानी चाहिए।

यह पुस्तिका वयस्क गवाहों को, जो कमजोर हो सकते हैं, अपनी गवाही में मदद देने वाले विशेष उपायों के प्रयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है।

यह पुस्तिका बतायेगी कि वे विशेष उपाय क्या हैं और वे आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं।

कमजोर गवाह क्या है?

सबसे अधिक कमजोर गवाहों की मदद के लिए 2004 में स्कॉटलैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया। इस वल्नरेबल विटनेसेस (स्कॉटलैंड) ऐक्ट का लक्ष्य है, विशेष रूप से खतरे की आशंका वाले गवाहों को, यथासंभव अच्छी गवाही देने में मदद के लिए उपलब्ध सहायक उपायों को बेहतर बनाना।

अदालत कुछ गवाहों को विशेष रूप से कमजोर मान सकती है यदि उनकी गवाही की गुणवत्ता, मानसिक असंतुलन द्वारा या गवाही देने से संबंधित भय या परेशानी द्वारा प्रभावित होगी।

मानसिक असंतुलन का अर्थ मानसिक रोग या सीखने में अयोग्यता हो सकती है। भय या परेशानी बहुत सी अलग–अलग बातों के कारण हो सकती है।

यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर गवाह हो सकते हैं, तो आपको इस विषय में उस व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है (प्रोक्योरेटर फिस्कल, बच्चों के रिपोर्टर या मामले के वकील)। वे आपके साथ आपकी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और बतायेंगे कि क्या अदालत में आपके विशेष उपायों के प्रयोग के बारे में आवेदन देना उचित है।

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति को लगता है कि कानून की शर्तों के तहत आपको कमजोर गवाह माना जा सकता है, तो वे इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वे आपको उस आवेदन के बारे में भी बतायेंगे जो उन्हें आपके द्वारा विशेष उपायों के प्रयोग की अनुमति के लिए अदालत (मुकदमे की सुनवाई करने वाले जज या शेरिफ) में पेश करना पड़ेगा।

इनके आवेदन में निम्न विवरण शामिल करने पड़ेंगे:

- ✿ आपको कमजोर गवाह क्यों माना जाना चाहिए, इसमें आवेदन के समर्थन के लिए तैयार की गई अतिरिक्त सूचनाएँ भी जोड़ी जायेंगी:
- ✿ आप कौन–कौन सा उपाय (उपायों) को प्रयुक्त करना चाहेंगे – इस बारे में आपकी राय; और
- ✿ क्या इसे आपकी गवाही के समय मदद देने वाला सबसे अधिक उपयुक्त विशेष उपाय माना जायेगा।

जज या शेरिफ इस बात से संतुष्ट होने चाहिए कि आप कमजोर गवाह माने जाने के कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं, और इसके लिए, वे आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं पर विचार करेंगे।

यदि जज या शेरिफ कानून की शर्तों के तहत आपको कमजोर गवाह मानने पर सहमत हैं, तो उन्हें यह भी विचार करना होगा कि यदि आपको बिना विशेष उपायों का प्रयोग किए गवाही देनी पड़ी तो उसका आप पर क्या असर होगा और क्या आप विशेष उपायों के साथ बेहतर ढंग से गवाही दे सकेंगे।

जज या शेरिफ यह फैसला करेंगे कि किसी गवाह को विशेष उपायों के प्रयोग की अनुमति दी जाये या नहीं और कौन सा विशेष उपाय सबसे उपयुक्त रहेगा।

आपको यह पुस्तिका दी गई होगी ताकि आप समझ सकें कि प्रत्येक विशेष उपाय क्या है और उससे आपको क्या सहायता मिल सकती है।

बहुत से गवाह गवाही देने के बारे में चिंतित होंगे और कुछ को कानून की शर्तों के तहत कमजोर गवाह के रूप में पहचाना जा सकता है। लेकिन प्रत्येक गवाह को विशेष उपायों का लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

याद रखें

आप गवाही देने के लिए विशेष उपायों का प्रयोग कर रहे हों या नहीं, कमजोर महसूस करने वाले गवाहों के लिए अतिरिक्त समर्थन की व्यवस्था की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, आप अदालत की इमारत में किसी दूसरे दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं या अन्य गवाहों से अलग, किसी दूसरे कमरे में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आपकी गवाही के दौरान, आपकी मदद के लिए अतिरिक्त अवकाश के समय का अनुरोध किया जाये, या अदालत को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाये।

उस व्यक्ति से बात करें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है। वे आपसे आपकी विशिष्ट परिस्थितियों तथा आपके लिए सबसे अधिक सहायता किस बात से होगी, इस विषय में चर्चा करेंगे।

कमजोर गवाहों को गवाही देने के लिए उपलब्ध विशेष उपाय

यदि आपकी पहचान, कानूनी परिभाषा के अनुसार ऐसे गवाह के रूप में की गई है जिसे विशेष रूप से संरक्षण की आवश्यकता है, तो आपको गवाही देने में मदद के लिए बहुत से विशेष उपाय हैं, जिनके प्रयोग से आप आपराधिक मुकदमे या बच्चों की सुनवाई के मुकदमे की कार्रवाई में पूरी तरह हिस्सा ले सकते हैं।

यह विशेष उपाय हैं:

- ✿ अदालत में ओट (स्क्रीन) (पृष्ठ 9);
- ✿ अदालत के साथ टेलीविजन लिंक (पृष्ठ 10);
- ✿ सहायक व्यक्ति (सहायता देने वाले व्यक्ति का प्रयोग) (पृष्ठ 12);
- ✿ गवाह द्वारा पहले से दिया गया पूर्व बयान (पृष्ठ 15);
- ✿ आयुक्त (कमिश्नर) द्वारा लिया गया बयान (पृष्ठ 16)।

इन विशेष उपायों में से एक से अधिक का एक साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप विचार कर सकते हैं कि टेलीविजन लिंक का प्रयोग करेंगे और गवाही देते समय सहायता के लिए अपने पास एक सहायता देने वाले व्यक्ति को भी रखेंगे।

कृपया याद रखें कि ये विशेष उपाय केवल विशेष रूप से कमजोर गवाहों के लिए ही उपलब्ध हैं और इसके लिए अदालत को एक विशेष आवेदन देने और उसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है।

जिस व्यक्ति ने आपको गवाह के रूप में तलब किया है, यदि उसे लगता है कि आप कमजोर हो सकते हैं और आपकी गवाही की गुणवत्ता प्रभावित होने का पर्याप्त खतरा है, तो वे आपके इन विशेष उपायों में से किसी एक या अधिक के प्रयोग के लिए अदालत में आवेदन करने पर विचार करेंगे।

उन्हें आपको विशेष उपायों के बारे में समझाना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आपके लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा रहेगा।

आवेदन में आपके द्वारा विशेष उपायों के प्रयोग के समर्थन में सूचनायें दी जायेंगी। यह सूचना संक्षिप्त भी हो सकती है, या आवश्यकता हो, तो विस्तृत भी हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में विशेष उपायों के लिए आवेदन के समर्थन में आवश्यक सूचना व्यक्तिगत अथवा संवेदनशील प्रकृति का भी हो सकती है – यह आपकी अपनी कमजोरी के कारण पर निर्भर है।

कमजोरी का आकलन करने, या आपके द्वारा विशेष उपायों के प्रयोग के लिए अदालत में आवेदन देने के उद्देश्य से, आपको गवाह के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति आपके साथ आपकी परिस्थितियों की चर्चा करेगा। कुछ मामलों में, उन्हें अदालत में आवेदन पेश करने के समर्थन के लिए आपके डॉक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता से आपके स्वास्थ्य के बारे में अधिक पूछताछ करने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत हो सकती है।

कृपया ध्यान रखें कि आपकी विशिष्ट कमजोरी के बारे में दी जाने वाली कुछ या पूरी जानकारी या विशेषज्ञों की रिपोर्ट, आपके द्वारा विशेष उपायों के प्रयोग के लिए अदालत में दिये जाने वाले आवेदन का हिस्सा हो सकती है और अभियुक्त या उसके कानूनी प्रतिनिधि भी उसे देख सकते हैं या उसके विषय में जान सकते हैं।

यदि आप इसके किसी पहलू के बारे में चिंतित हैं तो कृपया उस व्यक्ति से बात करें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि जज या शेरिफ, गवाह के रूप में आपके हितों को ध्यान रखेंगे लेकिन इसके साथ–साथ उन्हें न्याय के हितों का भी ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो।

विशेष उपाय – स्क्रीन (ओट) का प्रयोग

यदि आपको कानून के शर्तों के तहत कमजोर माना गया है और आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति का मानना है कि अभियुक्त या मामले में शामिल किसी अन्य व्यक्ति को देखने से आपकी गवाही प्रभावित हो सकती है, तो अदालत में स्क्रीन (ओट) का प्रयोग करने से आपको गवाही देने में मदद मिलेगी।

यह ओट या स्क्रीन, गवाह के कटघरे के पास, आपके और अभियुक्त (या मामले में शामिल अन्य व्यक्ति) के बीच 'कमरे को बाँटने वाले'या परदे की तरह लगाई जाती है।

इस तरह आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकेंगे। आप केवल जज (और जूरी, यदि मौजूद हो), शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और मुकदमे की कार्रवाई से संबंधित अन्य वकीलों को ही देख सकेंगे।

लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि स्क्रीन के दूसरी ओर बैठे अभियुक्त या अन्य लोग, आपको गवाही देते समय अदालत के टेलीविजन मॉनिटर पर परोक्ष रूप से देख सकेंगे।

विशेष उपाय – टेलीविजन लिंक का प्रयोग

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप कमजोर गवाह हो सकते हैं और आपके अदालत के अंदर रहने से आपकी गवाही प्रभावित हो सकती है, तो अदालत से अनुरोध किया जा सकता है कि वह आपकी गवाही के समय आपको टेलीविजन लिंक के प्रयोग करने देने के आवेदन पर विचार करे।

टेलीविजन लिंक कमरा, अदालत के उस कमरे से अलग होता है, जहाँ मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है। आम तौर पर यह अदालत की ही इमारत में होता है लेकिन किसी दूसरी इमारत में भी रखा जा सकता है। टेलीविजन को अदालत से जोड़ा जाता है ताकि अदालत में बैठे सभी लोग आपको गवाही देते हुए देख और सुन सकें।

अदालत में जज या शेरिफ और वकीलों में से प्रत्येक के पास एक टेलीविजन मॉनिटर, माइक्रोफोन और कैमरा होता है लेकिन आप केवल उसी व्यक्ति को देख और सुन सकेंगे जो आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा – आप अदालत में बैठे अभियुक्त या अन्य लोगों सहित, किसी भी व्यक्ति को देख नहीं पायेंगे।

सभी कैमरों का नियंत्रण जज या शेरिफ द्वारा किया जाता है। जब कैमरा चालू होता है, तब आप एक बार में केवल एक व्यक्ति – जज, शेरिफ या वकील को देख और सुन सकते हैं, जबकि वे सब आपको देख और सुन सकते हैं।

हालाँकि आपको यह समझ लेना चाहिए कि टेलीविजन लिंक के कारण आप अभियुक्त या मामले से संबद्ध अन्य व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अदालत के टेलीविजन मॉनिटर पर आपको गवाही देते हुए देख या सुन सकता है।

विशेष उपाय – सहायक व्यक्ति का प्रयोग

बहुत से गवाह, जो कमजोर महसूस कर रहे हों, गवाही देते समय बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं और अदालत में या टेलीविजन लिंक कमरे में अपने साथ किसी को बैठा पाकर कभी–कभी उन्हें राहत और भरोसा मिलता है। इस व्यक्ति को सहायक कहा जाता है। आपकी गवाही के समय उनके उपस्थित रहने मात्र से आपको सहायता प्राप्त होता है।

आपका सहायक, आपकी गवाही से पहले भी आपको सहायता और भरोसा दे सकता है और यदि अदालत अनुमति दे तो वह अवकाश के दौरान भी आपके साथ रह सकता है।

लेकिन आपका सहायक आपको अपनी गवाही के किसी भी हिस्से में कोई मदद नहीं दे सकता। वह न तो हस्तक्षेप कर सकता है और न ही आपकी गवाही को किसी तरह प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। जब आप गवाही दे रहे हों और वह पास में बैठा हो, तब उसे आपको कुछ बताने या टोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति इस विशेष उपाय के प्रयोग के लिए आवेदन कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आप अपने साथ सहायक व्यक्ति के रूप में किसे अपने साथ रखना चाहेंगे, हालाँकि अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।

अधिकतर गवाह, गवाही देते समय ऐसा सहायक व्यक्ति चाहते हैं, जिसे वे जानते हों, और जिसके साथ आराम महसूस करते हों।

यहाँ आपका सहायक कौन हो यह फैसला करते समय कुछ विचारणीय बातें:

- आप जिसे सहायक बनाना चाहते हैं, यदि उसे भी गवाह के रूप में बुलाया गया है तो वह आपका सहायक नहीं बन सकता, जब तक उसकी अपनी गवाही खत्म न हो जाये;

- आपको यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी गवाही सुनने पर आपके सहायक की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों या मित्रों को अपनी गवाही का विवरण सुनने से बचाना चाहते हों। यदि आपको लगता है कि वे अदालत में परेशान या नाराज हो जायेंगे तो इससे आप भी परेशान हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप परिवार के बाहर से किसी भी व्यक्ति को सहायक बनाने का फैसला करें;

- जिस व्यक्ति को आप समर्थक बनाना चाहते हैं, हो सकता है वह मामले के बारे में जरूरत से ज्यादा जानता हो और अदालत को लग सकता है कि उसका असर आपकी गवाही पर पड़ेगा। कुछ मामलों में, अदालत इसी वजह से आपके सहायक को स्वीकृति की वरीयता नहीं देती;

- हो सकता है कि किसी विशेषज्ञ सहायता संगठन या सामाजिक कार्य विभाग का कोई व्यक्ति पहले से ही आपको सहायता दे रहा हो और आप उसी को मनोनीत करना चाहें।

आपको गवाह के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति आपको अपना समर्थक चुनने के बारे में सलाह दे सकता है और चुनाव में मदद कर सकता है। कुछ आपराधिक मामलों में, वीआईए (VIA) या गवाह सेवा इस बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं।

यह याद रखना हमेशा आवश्यक है कि आपका सहायक आपको गवाही देने में मदद नहीं कर सकता और अदालत में आपकी ओर से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

यदि अदालत ने आपको सहायक साथ रखने की अनुमति दी है, तो आपका सहायक तब भी आपके साथ बैठ सकता है, जब आप अदालत द्वारा स्वीकृत किसी अन्य विशेष उपाय का प्रयोग कर रहे हों।

विशेष उपाय – पूर्व बयान का प्रयोग

यदि आप आपराधिक मामले में कमजोर गवाह हैं और आपके और पुलिस के बीच वीडियो या ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू है, या कोई लिखित बयान है, तो आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति अदालत से अनुरोध कर सकता है कि उसे आपकी गवाही के एक हिस्से के रूप में अदालत में बजाने या पढ़कर सुनाने की अनुमति देने पर विचार करे।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान, आपसे कहा जा सकता है कि आप रिकॉर्डिंग बजाये जाते समय या बयान पढ़कर सुनाये जाते समय उसे देखें या सुनें और इसके बाद, आपने अपने बयान में जो कुछ कहा था, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जायेंगे।

इस विशेष उपाय के प्रयोग का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने पूर्व बयान के बारे में सवाल पूछे जाने से मुक्ति मिल गई है।

याद रखें कि मामले से संबद्ध कोई भी अन्य वकील अब भी आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे कि अभियुक्त की ओर से मुकदमा लड़ रहा वकील।

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति, इस विशेष उपाय का प्रयोग करने की सोच रहा है, तो वह आपको इसके बारे में विस्तार से बतायेगा और आपकी राय पूछेगा।

विशेष उपाय – आयुक्त (कमिश्नर) द्वारा बयान लेना

यदि आप समझते हैं कि आपको कमजोर गवाह माना जा रहा है, तो कुछ मामलों में प्रोक्योरेटर फिस्कल, बच्चों के रिपोर्टर या अन्य वकील मुकदमा शुरू होने से पहले आपकी गवाही दर्ज करना चाहेंगे। अदालत इसकी मंजूरी दे सकती है, यदि ऐसा माना जा रहा हो कि मुकदमे की तारीख तक इंतजार करने से आपकी गवाही की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसे आयुक्त (कमिश्नर) को अपनी गवाही देना कहा जाता है। आप आयुक्त को जो गवाही देते हैं, उसे बाद में मुकदमे के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।

आयुक्त को गवाही देने का मतलब है कि आप वास्तविक मुकदमे से अलग समय या स्थान पर अपनी गवाही देते हैं।

कुछ परिस्थितियों में, अदालत में मुकदमा शुरू हो जाने के बाद भी इस विशेष उपाय का प्रयोग किया जा सकता है।

अदालत किसी को आयुक्त (कमिश्नर) के रूप में मनोनीत करती है। मामले के प्रकार को देखते हुए यह कोई जज या वकील या कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है। आप से सामान्य ढंग से सवाल पूछे जायेंगे और आप उसी तरह अपनी गवाही देंगे। अंतर केवल इतना होगा कि यह मुकदमे या सुनवाई के दौरान जज या शेरिफ के सामने नहीं बल्कि आयुक्त (कमिश्नर) के सामने होगी।

आयोग के दौरान, बच्चों को सुनवाई से संबंधित मामले से जुड़े अभियुक्त या अन्य संबंधित व्यक्ति को इस कार्रवाई को देखने और सुनने का अधिकार होता है, लेकिन आम तौर पर वे उस कमरे में नहीं होते, जिसमें आप होते हैं।

आयोग की समस्त कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी और यह रिकॉर्डिंग अदालत के पास रखी जायेगी। मुकदमे या अदालत में सुनवाई के दौरान उसे चलाया जायेगा और अन्य गवाहों की गवाही की ही तरह उसे आपकी गवाही माना जायेगा।

यदि आपकी गवाही आयोग के समक्ष रिकॉर्ड की गई है तो आमतौर पर आपको मुकदमे के दौरान गवाही नहीं देनी पड़ेगी।

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाला व्यक्ति इस विशेष उपाय के प्रयोग का विचार कर रहा है, तो वह आपसे बात करेगा और बतायेगा कि इसका मतलब क्या होता है और यह कैसे किया जाता है।

आपकी राय

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति को विश्वास है कि आप कमजोर गवाह समझे जाने योग्य हैं, तो वे आपको विशेष उपायों के बारे में और कैसे काम करते हैं – इस बारे में समझायेंगे। वे आपसे पूछेंगे कि क्या इनमें से किसी विशेष उपाय से आपको गवाही देने में मदद मिलेगी और यह भी, कि आप इनमें से किस–किस का प्रयोग करना चाहेंगे। वे आपको यह भी बतायेंगे कि इसके लिए अदालत में आवेदन के साथ क्या–क्या जानकारी शामिल करनी होगी।

सभी कमजोर गवाह विशेष उपायों का प्रयोग करना चाहें, यह जरूरी नहीं है। आप विशेष रूप से कमजोर गवाह होने के बावजूद, बगैर किसी विशेष उपाय का सहारा लिये, अपनी गवाही देना पसंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जज या शेरिफ यह फैसला कर सकते हैं कि गवाही देते समय किसी विशेष उपाय का प्रयोग स्वयं आपके हित में ठीक रहेगा।

आपको अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और कौन–कौन सा विशेष उपाय आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा – इसके सहित मुकदमे के बारे में अपने विचार उस व्यक्ति को बताने चाहिए, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

आपको विशेष उपाय के प्रयोग की अनुमति देनी है या नहीं, और आपकी परिस्थितियों के अनुसार कौन–सा विशेष उपाय सबसे उपयुक्त है – इस बारे में कोई फैसला करने से पहले अदालत आपके विचारों तथा आवेदन में शामिल जानकारी पर गौर करेगी।

यदि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, या आपके लिए कौन सा विशेष उपाय सबसे अधिक उपयोगी है – इस बारे में आपकी राय बदल जाती है तो उस व्यक्ति को बतायें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है। वे आपके साथ चर्चा करेंगे कि कौन सा वैकल्पिक विशेष उपाय अधिक उपयुक्त रहेगा और उसके लिए अदालत में आवेदन देना होगा या नहीं।

सभी मामलों में यह संभव है कि अदालत आपकी गवाही की व्यवस्था की समीक्षा करे। इसका अर्थ यह है कि एक बार आपके गवाही देना शुरू कर चुकने के बाद भी अदालत आपको किसी विशेष उपाय के प्रयोग या आप जिस विशेष उपाय का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बदलने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

अदालत ऐसा तभी करेगी जब उसे विश्वास हो कि आपकी विशेष कमजोरी के कारण आपकी गवाही की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद, हो सकता है कि आपने यह राय कायम कर ली हो कि कौन सा उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, या यदि आप टेलीविजन लिंक वाले विशेष उपाय का प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो अदालत और टेलीविजन लिंक वाला कमरा देखकर आने से शायद आपको फैसला करने में मदद मिले। अदालत का जायजा लेने और प्रत्येक विशेष उपाय कैसे काम करता है – यह जानने के लिए सीडी–रॉम का प्रयोग भी संभव है।

यह याद रखना आवश्यक है कि अदालत गवाह के रूप में आपके हितों का ध्यान रखेगी लेकिन साथ ही साथ न्याय कि हितों और मुकदमे या सुनवाई में निष्पक्षता का भी ध्यान रखेगी।

आपके नोट्स